न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/438

1. गुलाब बाई पुत्री स्व0 घांसी ।
2. कंवरी पुत्री स्व0 घांसी जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नयानोहरा लाडपुरा कोटा ।
3. केला बाई पुत्री स्व0 घांसी जाति लश्करी निवासी ग्राम रूग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कल्याण आत्मज स्व0 घांसी जाति लश्करी ।
2. बाबूलाल आत्मज स्व0 घांसी जाति लश्करी । निवासीगण गढेपान की झौंपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. विद्या सागर आत्मज श्री जगदीश प्रसाद नाबालिग जरिये वली पिता जगदीश प्रसाद निवासी गढेपान की झौंपडियॉ तहसील दीगोद, जिला कोटा ।
4. गौतम कुमार आत्मज श्री जगदीश प्रसाद नाबालिग जरिये वली पिता जगदीश प्रसाद, निवासी गढेपान की झौंपडियॉ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.08.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 92 ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गढेपान तहसील दीगोद में खाता संख्या 92 की आराजी खसरा नम्बर 174 की 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 317 की 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 412/325 की 0.41 हैक्टर खाता संख्या 23 पर खसरा नम्बर 410/285 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 411/325 की 0.84 हैक्टर भूमि स्थित है । ग्राम रूग्धी तहसील दीगोद की आराजी खाता

संख्या 75 पर खसरा नम्बर 190 की 0.56 हैक्टर, खाता संख्या 12 पर खसरा नम्बर 157 की 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 158 की 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 307/123 की 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 313/190 की 0.10 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि है जो वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता स्व0 घांसी जी आत्मज स्व0 छोटूलाल जी की खातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज है । घांसी जी का स्वर्गवास हो चुका है और घांसी जी के वारिस व उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पुत्र व वादीगण पुत्रियॉ है । उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का समान हक हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हक हिस्सा निहित चला आ रहा है और वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उक्त भूमि में अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण के पिता घांसी जी के देहान्त के पश्चात् कानूनन उक्त भूमि उनके सभी वारिसान को प्राप्त हुई है और कानूनन राजस्व रिकॉर्ड में भी घांसी जी के देहान्त के पश्चात् उक्त कृषि भूमि उनके सभी वारिसान उनकी पुत्रियॉ वादीगण व पुत्र प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादीगण की नासमझी का फायदा उठाकर राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिली भगत करते हुए बदयान्ति व बेईमानी पूर्वक गुप–चुप तरीके से उक्त कृषि आराजी स्वयं अपने नाम दर्ज करवा ली । उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा दर्ज कराया गया अपने नाम का इन्द्राज वादीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही गलत गैर कानूनी व प्रभावशून्य है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हक हिस्सा निहित है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण प्रत्येक को व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को 1/5 – 1/5 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे और तदनुसार इन्द्राज दुरूस्ती करवाते हुए उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी क्रम 3 व 4 का नाम हटा कर वादीगण का नाम उनके हिस्से अनुसार बतौर खातेदार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के हिस्से की आराजी पर उनके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे उक्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करें एवं उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द एवं रहन बेचान नहीं करें ।

4. प्रतिवादीगण ने दिनांक 03.04.2017 को जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 02 नियम 02 व आदेश 23 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 28.11.2014 को एक वाद गुलाब बाई बनाम कल्याण, बाबूलाल वगै0 मु0 नं0 166/14 अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय द्वारा उक्त वाद में स्थगन आदेश जारी कर दिया । उक्त वाद में प्रतिवादी की तामील जारी हुई एवं प्रतिवादी मय अधिवक्ता माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए एवं जवाब के लिए पत्रावली जारी रही इसी बीच दोनों पक्षकारान के राजीनामा की बात हुई । पक्षकारान ने लोक अदालत में राजीनामा पेश किया । राजीनामा के आधार पर उक्त वाद का निस्तारण किया गया । इसप्रकार वादीगण द्वारा जो पूर्व में वाद किया गया था वही वाद अब दोबारा पेश कर दिया गया है पूर्व वाद में जो अनुतोष मांगा गया था वही अनुतोष वर्तमान में प्रस्तुत हुए वाद में मांगा जा रहा है जो आदेश 02 नियम 02 सीपीसी से वर्जित है । ऐसी स्थिति में आदेश 07 नियम 11 (घ) के अन्तर्गत वाद रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि वादीगण

अपने हक को त्याग कर चुके हैं । ऐसी स्थिति में धारा 11 सीपीसी से एस्टोप्ड होने से उक्त वाद खारिज होने योग्य है । अतः उक्त वाद मय हर्जे –खर्चे के साथ खारिज किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2017 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 02 नियम 02 एवं आदेश 23 (1) सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 18.08.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का प्रारम्भिक अवस्था में ही सरसरी तौर पर आदेश 02 नियम 02 व धारा 23 के अन्तर्गत निस्तारित करने में कानूनी त्रुटि की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व के बाद तथा उसमें हुए राजीनामे की स्थिति को तनकीयात कायम कर पक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध कर निस्तारित किया जाना चाहिए था । दोनों वादपत्रों में वादकारण पृथक–पृथक था और आदेश 02 नियम 02 व धारा 23 के अन्तर्गत वाद खारिज किये जाने का प्रावधान नहीं है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण अपीलान्ट का 1/5 – 1/5 हक हिस्सा निहित रहा है । घांसी के देहावसान के पश्चात् उनके वारिस व उत्तराधिकारियों में उनके पुत्र रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 तथा तीन पुत्रियॉ अपीलान्ट हैं और कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार घांसी जी के देहावसान के बाद उनकी आराजी में उनके पुत्र रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व2 के साथ–साथ उनकी अन्य विधिक वारिस व उत्तराधिकारी उनकी पुत्रियों अपीलान्ट को भी समान रूप से हक व अधिकार प्राप्त है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी घांसी जी के खाते से रेस्पोडेन्ट के खाते में आई है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्टगण का उसमें प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा निहित है । इसी आशय का दावा हक, घोषणा का अपीलान्टगण ने किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने विधि–विरूद्ध रूप से अन्तर्गत आदेश 02 नियम 02 एवं आदेश 23 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के तहत खारिज किया है । दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। पूर्व वाद में तथाकथित राजनामे के आधार पर डिक्री जारी नहीं हुई है । दोनों दावों में वाद का कारण पृथक–पृथक है । अपीलान्ट ने अधिशेष राशि के लिए दावा पेश नहीं किया परन्तु हक, घोषणा का दावा पेश किया है । कानूनन सहखातेदार हक त्याग किसी राजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही कर सकते हैं । राजीनामा अवैध है । इस तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्याालय का निर्णय विधि–विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2017 निरस्त किया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014–15 पेज 446 उद्धरत की जिसके अनुसार आदेश 07 नियम 11 के सीपीसी के तह केवल दावे में अंकित तथ्यों को ही देखा जा सकता है ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण ने पूर्व में एक दावा पेश किया था जो राजीनामे के आधार पर विड्रो किया गया । अपीलान्टगण को नया वाद पेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी इस कारण यह दावा मेन्टेनेबल नहीं है । यदि राजीनामे के अनुसार अपीलान्ट को राशि का भुगतान रेस्पोडेन्टगण ने नहीं किया है तो उन्हें सिविल न्यायालय में जाना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 2007 पेज 748, आरआरटी 2002 (2) पेज 272, आरआरटी 2006 (2) पेज 732, 2013 (4) डब्ल्यू.एल.सी (राज0) पेज 61, 2013 (5) (राज0) डब्ल्यूएलसी पेज 211, आरआरडी 2007 पेज 257, सीसीसी 2016 (1) पेज 500, डीएनजे 2010 (10) पज 344, आरएलडब्ल्यू 2013 (1) पेज 81 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 02 नियम 02 व नियम 23 सीपीसी पेश किया था । सीपीसी के आदेश 02 नियम 02 के तहत यह प्रावधान किये गये हैं कि –

"जहॉ वादी दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साश्य त्याग देता है वहॉ उसके पश्चात् वह इस प्रकार लोप किये गये या त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लाएगा ।"

12. इस प्रकरण में आदेश 02 नियम 02 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । दूसरा प्रावधान आदेश 23 का है । आदेश 23 नियम 04 सीपीसी में यह प्रावधान किये गये हैं कि यदि वादी दावे को बिना नया दावा पेश की अनुमति के प्रत्यार्थ करता है तो वह ऐसी विषय वस्तु के लिए नया दावा पेश कर नहीं पायेगा । आदेश 23 नियम 4 के आधार पर दावा आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता । आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानों के तहत केवल दावे की विषय वस्तु के आधार पर ही दावा खारिज किया जा सकता है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व दावे की प्रति पेश नहीं की गई है । पूर्व दावे की आदेशिका की फोटो प्रति पेश की है गई है जिसके अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा नहीं चाहते हैं । इस आधार पर राजीनामा स्वीकार कर पत्रावली को फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर किया गया है । राजीनामा की भी फोटो प्रति पेश की है, प्रमाणित प्रति नहीं है । इस राजीनामे को न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है अथवा नहीं ? यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ।

13. दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जो इस प्रकरण में विचारणीय है वह यह है कि बिना विधिक दस्तावेज या पंजीकृत दानपत्र एवं हक–त्याग के अचल सम्पत्ति में किसी भी सहखातेदार का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता । इन समस्त तथ्यों की जॉच एवं तस्दीकु के बिना इस प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । जब तक पूर्व में दावे और वर्तमान दावे का मिलान नहीं दिया जावे तब तक यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि पूर्व के दावे एवं वर्तमान दावे में वादकारण समान हैं अथवा नहीं ।

14. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र के आधार दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

15. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धतरण नजीर आरआरडी 2007 पेज 748 इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि इस प्रकरण में पूर्व के दावे की प्रति पेश नहीं की गई है, इस कारण वाद कारण समान है अथवा नहीं यह निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करें यदि आवश्यक समझा जावे तो दावे के मेन्टेनेबिलिटी के बाबत् प्रारम्भिक तनकी कानूनी तनकी के रूप में कायम की जा सकती है । इसके उपरान्त नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा